<u>प्रोफार्मा- II</u>

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी* ---------- सुपुत्र/सुपुत्री* श्री/श्रीमती ---------- जो जिला/मंडल* ---------- के गांव/कस्बा*---------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----------के/की निवासी हैं और ---------- समुदाय से संबद्ध हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 163 में दिनांक 20.10.1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19.10.1994 का संकल्प सं. 12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 88 में दिनांक 25.05.1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24.05.1995 का संकल्प सं. 12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं. 12011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/99/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं. 12011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं. 12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं. 12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं. 12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी.।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं. 12015/15/2008-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 का संकल्प सं. 12015/13/2010-बी.सी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं. 12015/05/2011-बी.सी.सी.-II ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ---------- और/या* उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल* ---------- के गांव/कस्बा* ---------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर ----------

**पदनाम ----------

(कार्यालय की मोहर)

राज्य संघ शासित क्षेत्र----------

स्थान----------

तारीख ----------

* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

@ जो लागू न हों उसे हटा दें।

नोट: यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

** अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों वही होंगे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना

चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं । अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यत: उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई जातीय स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा ।

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का प्ररूप।

<u>प्रोफार्मा - III</u>

<u>परिवचन</u>

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 08.09.1993 के ऊपर संदर्भित और दिनांक 9.3.2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।